



2026:AHC:179851

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत संख्या -

8805 सन् 2026

मुर्शिद खान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: मानवेंद्र सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 323 सन् 2025, थाना भोजीपुरा, जनपद बरेली में बी.एन.एस. की धारा 109, 115(2), 351(3), 352, 117(2), 118(2), 118(1), 324(4), 333, 3(5) के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. यह तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है।
4. प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पैरवी के अभाव में निरस्त कर दिया गया था।
5. द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक को अपने आपराधिक इतिहास का विस्तृत विवरण देते हुए नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ, वापस लिए जाने के रूप में निरस्त किया गया था।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र के पैरा संख्या 40 में सम्यक रूप से स्पष्ट किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया है कि आवेदक का मामला नासिर के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के समान है, जिसे इस न्यायालय द्वारा भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 7385 सन् 2025 में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 22 व्यक्तियों के विरुद्ध है, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने चार घायलों पर हमला किया, किंतु घायलों को लगी चोटों में से किसी को भी जीवन के लिए खतरनाक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

7. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुखेन्द्र सिंह ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है तथा यह तर्क दिया है कि चार घायलों पर क्रूरतापूर्ण हमला किया गया है। उन्हें अनेक चोटें आई हैं। बार-बार किए गए हमले से हत्या का आशय स्पष्ट है। आगे यह तर्क दिया गया है कि घायलों में से एक, सायरा बानो, के सिर पर फ्रैक्चर आया है, जो एक गंभीर क्षति है, जिसके परिणामस्वरूप सायरा बानो की मृत्यु भी हो सकती थी। तथापि, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण का खंडन नहीं कर सके।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों को अंगीकृत किया है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

10. समान स्थिति में स्थित सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। अभिकथन 22 व्यक्तियों के विरुद्ध है, जिन्होंने चार घायल व्यक्तियों पर हमला किया। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका समनुदेशित नहीं की गई है। आवेदक ने अपने आपराधिक पूर्ववृत्त को सम्यक रूप से स्पष्ट किया है। प्रथम दृष्टया, चोटों की संख्या तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि मिथ्या फंसाया जाना अथवा अत्यधिक फंसाया जाना अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

11. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूँ।

12. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

13. आवेदक-**मुर्शिद खान** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संबंधित थाने/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर अविलंब मुक्त किया जाएगा:-

- i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं;

14. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं समझा जाए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

25 अगस्त, 2026

सचिन